



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारतीय राज्यों का विकसित होता
राजकोषीय क्षेत्र

भारतीय राज्यों का विकसित होता राजकोषीय क्षेत्र

संदर्भ

- भारत को राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करके और कर अपवर्तन एवं अनुदानों में संतुलन पुनर्स्थापित करके न्यायसंगत राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत का राजकोषीय संघवाद

- राजकोषीय संघवाद एक संघीय प्रणाली में सरकारी कार्यों और वित्तीय संबंधों का विभाजन है। भारत में इसमें शामिल हैं:
 - ऊर्ध्वाधर अपवर्तन :** राज्यों के साथ केंद्रीय करों का साझा करना, जिसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
 - क्षैतिज अपवर्तन :** राज्यों के बीच वितरण, जो जनसंख्या, आय दूरी और राजकोषीय अनुशासन जैसे मानदंडों पर आधारित है।
 - अनुदान-इन-एड :** विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लक्षित हस्तांतरण या राजकोषीय असंतुलन को संबोधित करने हेतु।

संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान संघ और राज्यों के बीच कर आधार को विभाजित करता है, जिन्हें क्रमशः संघ सूची एवं राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है (अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची में)।
 - समवर्ती सूची में कोई कराधान प्रावधान नहीं था/नहीं है।
- हालांकि, जब GST लागू करना था, तो इसके लिए एक समवर्ती आधार प्रदान करना आवश्यक था, जिसके लिए अनुच्छेद 246A को (101वें संविधान संशोधन के रूप में) जोड़ा गया।
 - इसने संघ को CGST (केंद्रीय GST) और IGST (एकीकृत GST) के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाया और राज्यों को SGST के लिए विधेयक बनाने की अनुमति दी।
- संविधान का अनुच्छेद 270 संघ सरकार द्वारा एकत्रित शुद्ध कर आय के वितरण की योजना केंद्र और राज्यों के बीच प्रदान करता है।

भारत में राजकोषीय संघवाद का विकास

- 2015 से पूर्व:** योजना आयोग संसाधन आवंटन में प्रमुख भूमिका निभाता था।
- 2015 के पश्चात** योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया और 14वें वित्त आयोग ने राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को 42% तक बढ़ा दिया।
- GST के बाद:** राज्यों ने कई कराधान शक्तियाँ छोड़ दीं, मुआवजे और सहयोगी राजकोषीय प्रबंधन की अपेक्षा करते हुए।

राजकोषीय हस्तांतरण की बदलती गतिशीलता

- 14वाँ वित्त आयोग (2015–20):** इसने राज्यों की हिस्सेदारी को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया, जिससे राज्यों की संसाधनों पर स्वायत्तता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
 - राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 15% (13वाँ FC) से बढ़कर 19.2% हो गई — 4.25 प्रतिशत अंक की वृद्धि।

- परिणामस्वरूप, राज्यों की हस्तांतरणोत्तर राजकोषीय हिस्सेदारी 63.85% से बढ़कर 68.08% हो गई, जिससे पहले का केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन उलट गया।
- वित्त आयोग (FC) और गैर-FC अनुदान काफी हद तक स्थिर रहे, जिससे हस्तांतरण की समग्र संरचना बनी रही।
- **15वाँ वित्त आयोग (2020–25):** राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 68.08% (14वाँ FC) से घटकर 67.39% हो गई — 0.70 प्रतिशत अंक की कमी।
 - कर अपवर्तन की हिस्सेदारी 1.05 प्रतिशत अंक घटकर 19.2% से 18.2% हो गई, हालांकि इसे आंशिक रूप से थोड़े अधिक FC और गैर-FC अनुदानों द्वारा संतुलित किया गया।
 - राज्यों की अपनी राजस्व प्राप्तियाँ भी मामूली रूप से 37.72% से घटकर 37.35% हो गईं।
 - इस गिरावट में कई संरचनात्मक बदलावों का योगदान रहा:
 - जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई।
 - केंद्र ने उपकर एवं अधिभार का उपयोग बढ़ा दिया, जो राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते।
 - उच्च-आय वाले राज्य: हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे उच्च-आय वाले राज्यों के लिए स्थिति अधिक चिंताजनक है।
 - 13वें और 14वें FC अवधि के बीच, उनके राजकोषीय क्षेत्र में कोई शुद्ध लाभ नहीं हुआ — हस्तांतरण में वृद्धि उनकी अपनी आय में गिरावट से संतुलित हो गई।
 - हालांकि, 14वें से 15वें FC अवधि में, उनके राजकोषीय क्षेत्र में 0.38 प्रतिशत अंक की गिरावट आई।

राजकोषीय हस्तांतरण की बदलती गतिशीलता के अंतर्निहित कारण

- गैर-साझा उपकर और अधिभार में वृद्धि ने विभाज्य पूल को सीमित कर दिया।
- क्षैतिज अपवर्तन सूत्र के द्वारा उच्च-आय वाले राज्यों को हानि हो सकती है क्योंकि इसमें समानता मानदंड को अधिक महत्व दिया गया।
- हाल के GST 2.0 सुधार, जिसमें व्यापक दर कटौती और GST क्षतिपूर्ति उपकर का अंत शामिल है, राज्यों की राजकोषीय क्षमता को और खतरे में डालते हैं।

नीतिगत निहितार्थ और आगे की राह

- **संतुलित राजकोषीय संघवाद की आवश्यकता:** 14वें FC के अनुभव ने समानता और राजकोषीय स्वायत्ता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
 - राज्यों को विकास के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है।
- **उपकर और अधिभार पर पुनर्विचार:** केंद्र का गैर-विभाज्य राजस्व साधनों पर बढ़ता भरोसा सहयोगी संघवाद को कमजोर करता है।
 - उपकर और अधिभार को नियंत्रित करना राजकोषीय विश्वास को पुनर्स्थापित करेगा एवं विभाज्य पूल का विस्तार करेगा।

- कर क्षमता बढ़ाना:** केंद्र और राज्यों दोनों को कर दक्षता और अनुपालन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
 - मजबूत GST संग्रह और तर्कसंगत प्रत्यक्ष कर समग्र राजकोषीय आकार को बढ़ा सकते हैं।
- 16वें वित्त आयोग की भूमिका:** हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 16वें वित्त आयोग को हालिया असंतुलनों को सुधारने की चुनौती का सामना करना है। इससे अपेक्षा है कि:
 - क्षैतिज अपवर्तन में ‘दूरी मानदंड’ की पुनः समीक्षा की जाएगी ताकि उच्च-आय वाले राज्यों के साथ अधिक न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित हो सके।
 - अधिक न्यायसंगत साझा ढाँचे के माध्यम से राजकोषीय क्षेत्र की रक्षा की जाएगी।

निष्कर्ष

- भारत की राजकोषीय संघीय संरचना 14वें वित्त आयोग से राज्यों के सशक्तिकरण की ओर विकसित हुई है।
 - हालांकि, 15वें FC अवधि ने उभरते तनावों को उजागर किया है, विशेष रूप से उच्च-आय वाले राज्यों के लिए जो राजकोषीय स्वायत्तता के क्षरण का सामना कर रहे हैं।
- जैसे ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा है, राजकोषीय संघवाद का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि केंद्र और राज्यों दोनों के पास साझा विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं लचीलापन हो।

Source: IE



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारतीय राज्यों के बदलते राजकोषीय क्षेत्र (Fiscal Space) पर चर्चा की जिए। कर अपवर्तन (Tax Devolution), वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन तथा उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) के उपयोग में हुए परिवर्तनों ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता एवं विकासात्मक क्षमताओं को किस प्रकार प्रभावित किया है।

